प्रपत्र–6

"खाता दुरुस्ती आवेदन–पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

2022/322

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

.....

विषयः– राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बोरदा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 229 में प्रार्थी के पिता का नाम प्यारा पुत्र लक्ष्मण चमार दर्ज है जबकि वास्तविक खातेदार का सही नाम प्यारा पुत्र लक्ष्मण बैरवा है। अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांकः–

प्रार्थी

मि. प्यारा पुत्र लक्ष्मण बैरवा

(.....)

रिपोर्ट–पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम बोरदा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 229 में प्रार्थी का नाम प्यारा पुत्र लक्ष्मण जाति चमार दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न प्रमाण पत्र व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम प्यारा पुत्र लक्ष्मण बैरवा है। जो संशोधित किया जाना उचित है। ~~एवं यह जाति शुद्धि सम्पूर्ण खाते में किया जाना उचित होगा।~~

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0 बोरदा

24/6/22

पटवारी बोरदा

24-6-2022

रिपोर्ट तहसीलदार.....

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी बोरदा व भू0अ0नि0 बोरदा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम बोरदा की जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की खाता संख्या 229 में प्रार्थी का नाम प्यारा पुत्र लक्ष्मण चमार के बजाय प्यारा पुत्र लक्ष्मण बैरवा किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार

तहसीलदार (भू.अ.)

शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

258/22

24/6/22

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम बोरदा जमाबन्दी सम्वत 2076–79 खाता संख्या 229 में दर्ज प्रार्थी का नाम प्यारा पुत्र लक्ष्मण चमार के स्थान पर प्यारा पुत्र लक्ष्मण बैरवा संशोधन के आदेश दिये जाते है।

प्रभारी अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा (भीलवाड़ा)